

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी
मोटर मार्ग के किमी 7 से 10 तक का निर्माण कार्य का वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि
0.398 है०)।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण
अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय वनाधिकारी
ह०/-
उत्तराखण्ड वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तराखण्ड